(+)—05—

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल 2005—चैत्र 22, शक 1927

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-29/दो/आठ-परि./2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-1-99 आठ, दिनांक 23 अक्टूबर, 1999 अतिक्रमित करते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रक्रम वाहनों का भाड़ा दिनांक 19 अप्रैल एवं दिनांक 20 अप्रैल 2005 की मध्यरात्रि से निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देता है :—

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य यात्री भाड़ा (नगर वाहन को छोड़कर)

(1)	सामान्य प्रक्रम वाहन	रुपये 3.00 प्रति यात्री प्रथम 5 कि.मी. के लिए तत्पश्चात् रु. 0.50 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिये.

(2) उपरोक्त निर्देश 1 के अधीन संगणित यात्री भाड़ा में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी :—

(क)	रात्रि बस सेवा के लिये	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक
(ख)	एक्सप्रेस बसों के लिये	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक
(ग)	लग्जरी बसों के लिये	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 20 प्रतिशत अधिक

उपरोक्त दरों से परिगणित करने पर किराए की राशि में 0.50 पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 0.50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा.

Raipur, the 12th April 2005

NOTIFICATION

No. F-5-29/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and having regard to the provisions of clause (a) to (d) of sub-section (1) and in supersede of the Department Notification F-7-1-99/VIII, dated 23 Oct. 1999 the State Government hereby issued the following directions to the State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares w.e.f. midnight of 19 April and 20 April 2005 for stage carriages :—

DIRECTIONS

The fare chargeable by State Carriages shall be :— (Excluding City Services)

(1)	In the case of Ordinary Stage Carriages	Rupees three per passengers up to a distance of five Kilometers and there after 50 paise per passenger per Killometer or part there of.

(2) The fare calculatd under direction-1 above shall be increased.

(a)	for Night bus service	Ten percent excess of the fare of ordinary Stage Carriages.
(b)	for Express bus	Ten percent excess of the fare of ordinary Stage Carriages.
(c)	for Luxury bus	Twenty percent excess of the fare of ordinary Stage Carriages.

The total amount of fare calculatd as per above shall be rounded off to the next higher rupee amount of fifty paise and above any amount less than fifty paise shall be rounded.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.